



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269502  
CG-DL-E-21012026-269502

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSH 30, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 308(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लेखित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और, उक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में अंतर्विष्ट व्यौरे रेखांक धारक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (एलएंडआर)/भूमि/21, तारीख 22 मई, 2025 जिसमें उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र के व्यौरे भी अन्तर्विष्ट है, का निरीक्षण जिला कलेक्टर, जिला शहडोल एवं अनुपपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, पांचवी मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), सीपत रोड, विलासपुर 495006 छत्तीसगढ़ के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची 834031 झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति-

- (i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदां की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदृत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर कार्यालय प्रभारी या विभागाध्यक्ष (भू-राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर 495006, छत्तीसगढ़ को परिदृष्ट कर सकेगा।

अनुसूची

## बटुरा ब्लाक पश्चिम विस्तार, सोहागपुर क्षेत्र,

जिला: शहडोल एवं अनूपपुर, मध्य प्रदेश

[रेखांक धारक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(एलएंडआर)/भूमि/21 तारीख 22 मई, 2025]

## राजस्व भूमि:

## सीमा विवरण:

क-ख: रेखा बिंदु 'क' ग्राम खैरबना से प्रारम्भ होकर ग्राम अंतरिया और बेलिया से होते हुए ग्राम बेलिया में बिंदु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग: रेखा बिंदु 'ख' ग्राम बेलिया से प्रारम्भ होकर बिंदु 'ग' ग्राम रामपुर पर मिलती है।

ग-घ: रेखा बिंदु 'ग' ग्राम रामपुर से प्रारम्भ होकर बिंदु 'घ' ग्राम खांडा पर मिलती है।

घ-ड.: रेखा बिंदु 'घ' ग्राम खांडा से प्रारम्भ होकर बिंदु 'ड.' ग्राम कोदैली पर मिलती है।

ड.-च: रेखा बिंदु 'ड.' ग्राम कोदैली से प्रारम्भ होकर बिंदु 'च' ग्राम कोदैली और रामपुर गांवों के जंक्शन पर मिलती है।

च-छ: रेखा बिंदु 'च' ग्राम कोदैली और रामपुर से प्रारम्भ होकर बिंदु 'छ' ग्राम बिछिया पर मिलती है।

छ-क: रेखा बिंदु 'छ' ग्राम बिछिया और रामपुर से प्रारम्भ होकर प्रारम्भ बिंदु 'क' ग्राम खैरबना पर मिलती है।

## अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट:

- (1) रामपुर गांव: प्लॉट संख्या 2606, 3274/3342।
- (2) बेलिया गांव: प्लॉट संख्या 53/3/1, 53/5, 51/509, 195/505, 265/495, 141/499, 187पी, 125पी, 417/1, 417/6, 400/507, 391/496।
- (3) खांडा गांव: प्लॉट संख्या 858 पी।
- (4) अंतरिया गांव: 804/875, 832 पी, 697 पी।
- (5) खैरबना गांव: जेड 2 (राज्य विभाग द्वारा अभी तक विशिष्ट प्लॉट संख्या तैयार नहीं की गई है।)

[फा. सं. 43015/13/2025-एलएआईआर]

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आर्थिक सलाहकार

## MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

**S.O. 308(E).**— Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land described in the Schedule annexed hereto;

And whereas the plan bearing number SECL/BSP/GM(L&R)/Land/21, dated the 22<sup>nd</sup> May, 2025 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Collector, District Shahdol and Anuppur (Madhya Pradesh) or office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5<sup>th</sup> Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road Bilaspur 495006, Chhattisgarh or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi 834031, Jharkhand;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may—

- (i) claim compensation under sub-section (1) of section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to

have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, to the Office-in-Charge or Head of the Department (Land and Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur 495006, Chhattisgarh within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

Batura Block West Extension, Sohagpur Area.

District – Shahdol and Anuppur District (Madhya Pradesh)

[Plan bearing number: SECL/BSP/GM(L&R)/LAND/21 dated the 22<sup>nd</sup> May, 2025]

**(A) Revenue Land:**

Serial Number	Name of village	Patwari Halka Number	Tehsil	District	State	Are to be acquired in hectare	Remark
1	Rampur	09	Burhar	Shahdol	Madhya Pradesh	0.498	Part
2	Beliya	09	Burhar	Shahdol	Madhya Pradesh	3.480	Part
3	Khanda	30	Anuppur	Anuppur	Madhya Pradesh	0.040	Part
4	Antariya	08	Burhar	Shahdol	Madhya Pradesh	2.898	Part
5	Khairbana	07	Burhar	Shahdol	Madhya Pradesh	0.101	Part
Total						7.017	

**Boundary Description:**

A-B: Line starts from point 'A' village Khairbana and passes through villages Antariya and Belia and meets at point 'B' in village Belia.

B-C: Line starts from point 'B' village Belia and meets at point 'C' village Rampur.

C-D: Line starts from point 'C' in village Rampur and meets point 'D' in village Khanda.

D-E: Line point 'D' starts from village Khanda and meets point 'E' at village Kodaili.

E-F: Line point 'E' starts from village Kodaili and meets point 'F' at the junction of village Kodaili and Rampur villages.

F-G: Line starts from point 'F' village Kodaili and Rampur and meets at point 'G' village Bichiya.

G-A: Line point 'G' start from village Bichiya and Rampur meets the starting point 'A' at village Khairbana.

**Plots to be acquired:**

- (1) Rampur Village: Plot numbers: 2606 and 3274/3342.
- (2) Beliya Village: Plot numbers: 53/3/1, 53/5, 51/509, 195/505, 265/495, 141/499, 187(Part), 125(Part), 417/1, 417/6, 400/507 and 391/496.
- (3) Khanda Village: Plot number: 858(Part).
- (4) Antariya Village: Plot numbers: 804/875, 832(Part) and 697(Part).
- (5) Khairbana Village: Z 2 (specific plot number yet to be generated by State department).

[F. No. 43015/13/2025-LAIR]

Dr. MANIK CHANDRA PANDIT, Economic Adviser